सरकार बनाम मुरली उर्फ मुरलीधर
सेशन प्रकरण सं0 76/2022

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	आदेश की अनुपालना का संक्षिप्त नोट
09-03-26	विशिष्ठ अपर लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्त मुरली उर्फ मुरलीधर मय अधिवक्ता उपस्थित। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। मुताबिक निर्णय अभियुक्त मुरली उर्फ मुरलीधर पुत्र मथुरालाल ग्राम खेहरा थाना छीपाबडौद जिला बारां को आरोपित अपराध धारा 8/29 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषमुक्त किया जाता है। प्रकरण से फर्द जप्ती अनुसार जब्त शुदा मादक पदार्थ स्मैक मय समस्त सेम्पल को अपील अवधि अवसान के छह माह पश्चात, अपील नहीं होने की सूरत में नारकोटिक्स विभाग, कोटा को ड्रग डिस्पोजल कमेटी के माध्यम से नियमानुसार निस्तारण हेतु जमा कराये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अपील होने की स्थिति में अपील में पारित निर्देशानुसार निस्तारण किया जावे। अभियुक्त के विचारण के दौरान उपस्थिति हेतु प्रस्तुत जमानत-मुचलके निरस्त किये जाते हैं। अभियुक्त को धारा 437-ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आहूत किये जाने पर उपस्थित होने हेतु 10,000/-रूपये का बन्ध-पत्र एवं इसी राशि का प्रतिभूति-पत्र प्रस्तुत किये जाने का आदेश दिया जाता है। अभियुक्त की ओर से धारा 437-ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत जमानत मुचलके पूर्व में पेश किये जा चुके हैं। पत्रावली में कोई कार्यवाही शेष नही है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। विशिष्ट न्यायाधीश (एन० डी० पी० एस० एक्ट) बारां (राज०)	

Scanned with OKEN Scanner